रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2015/ज्येष्ठ 12,1937
No. 357] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2015/JYAISTHA 12, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

सा.का.नि. 448(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) तीसरा संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 के नियम 3क में,--

"(iv) सचिव, योजना आयोग — सदस्य;" कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "(iv) सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य," कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12025/31/2013-अ-II (बी)पार्ट-1]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 174(अ), तारीख 13 मई, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

G.S.R.448(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Third Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003, in rule 3A, for brackets, letters and words "(iv) the Secretary, Planning Commission – Member,", the brackets, letters and words "(iv) Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs – Member," shall be substituted.

[F.No. A-12025/31/2013-E-II (B) pt.1]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and last amended vide G.S.R. 174 (E) dated the 13th May, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.